भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4954
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक कृषि

4954. श्री रवि किशनः
श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किसानों की स्वयं की जैविक खाद विकसित करने हेतु राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर ब्लाकों में जैविक खाद की अनुपलब्धता के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने हेतु कोई कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): भारत सरकार वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) तथा परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) नामक समर्पित स्कीमों के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती रही है। दोनों स्कीमों का लक्ष्य रसायनमुक्त कम लागत वाले आदान से सतत जैविक खेती आधारित कलस्टर/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा देना, तथा जैविक आदानों के उत्पादन/खरीद से लेकर मंडी तक जोड़ने में किसानों की सहायता करना है।

भारत सरकार ने जैविक आदानों (जैव उर्वरकों, जैव पीड़कनाशकों, वर्मी कम्पोस्ट, वनस्पतिक अर्क आदि) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं और विविध स्कीमों के अंतर्गत उनके उत्पादन/खरीद हेतु सहायता/प्रोत्साहन देती रही है;

- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): इसके अंतर्गत 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपये की सहायता दी जाती है। इसमें से किसानों को आदानों (जैव उर्वरकों, जैव पीड़कनाशकों, वर्मी कम्पोस्ट वनस्पतिक, अर्क आदि) के उत्पादन/खरीद, फसलोपरांत अवसंरचना आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से 31,000 (61 प्रतिशत) रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के अंतर्गत किसानों को ऑन फार्म तथा ऑफ फार्म जैविक आदानों के उत्पादन/खरीद के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 7500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) घटक के पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस) के अंतर्गत राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों को जैविक आदान उत्पादन इकाईयों की स्थापना करने के लिए 3 हजार टीपीए उत्पादन क्षमता के लिए प्रति यूनिट अधिकतम सीमा 190.00 लाख रूपये की शत-

प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। उसी तरह निजी/निजी एजेंसियों को 3000 टीपीए उत्पादन क्षमता के लिए नाबार्ड के माध्यम से प्रति यूनिट 63 लाख रूपये लागत सीमा का 33 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम): एनएफएसएम के अंतर्गत जैव-उर्वरक (राइजोबियम/पीएसबी) के संवर्धन हेतु प्रति हेक्टेयर 300 रूपये की लागत सीमा के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) से (ड.): अब तक उत्तर प्रदेश के 172 ब्लॉक में पीकेवीवाई का कार्यान्वयन किया गया है। इन ब्लॉक में जैविक खादों की उपलब्धता को हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों के निर्माण तथा ऑफ फार्म जैव-उर्वरकों के प्रबंधन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 2017 से 2019 के बीच सभी 75 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है और पिछले 2 वर्षों में प्रति यूनिट 6000 रूपये की सहायता से प्रत्येक गांव में 2 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 8 आकांक्षी जिलों में एनएडीईपी स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है।

*****